न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री बाबूसिंह पुत्र विजय सिंह, जाति राजपूत व अन्य – 5		श्री भरत कुमार पुत्र श्री प्रहलाद , जाति रावल व अन्य – 11

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2019

दिनांक 11.07.2022

आदेश

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा देलवाड़ा में स्थित है, जिसके खसरा नं. 146 व 145 रकबा 0–0500 एवं 0–1300 एकड है। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से कृषि करते आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लगते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 131, 147, 148 की कृषि भूमि स्थित है। यह कि खसरा नं. 131, 147, 148 की कृषि भूमि मौके पर रिक्त पड़ी हुई है जिससे होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज कदिम से कृषि कार्य हेतु आते जाते रहे है। वर्तमान में उक्त भूमि पर तारबंदी कर फाटक लगा दिया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं काश्त की भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नं. 131, 147, 148 से होकर ही आवागमन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर नही जाया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोज ऑफ एक्शन माह जुलाई 2019 में उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 131, 147, 148 की भूमि मे से कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर जा सके उतना चौड़ा लगभग 10 फीट रास्ता प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 7 व 9 से 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नं. 131, 147 व 148 भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 12 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक की है। कि पद सं. 4 में पदवर्णित भूमि पर के चारों तरफ बाउण्ड्री वॉल निर्मित है एवं गलत है कि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्व कदीम से उक्त भूमि में से होकर आते जाते रहे हो। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी हक के खसरा नं. 131, 147 व 148 में से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकार नही है। कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कोज ऑफ एक्शन जुलाई 2019 या अन्य कभी उत्पन्न नही हुआ है। कि प्रार्थीगण के स्वयं का निवास व खातेदारी कृषिभूमि कुवांरी कन्या मंदिर के पास है जहां कदीम से स्थानीय मार्ग बना हुआ है जिससे होकर प्रार्थीगण स्वयं के आवास एवं कृषिभूमि में आवागमन करते आये है। प्रार्थीगण के पूर्वजों ने मार्ग के समीप के खसरा नं. 33, 206 व 207 की भूमि पूर्व में शांतिदूत जैनोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद को विक्रय कर दी है। जिस कारण प्रार्थी ने स्वयं के कृत्य से कदीमी रास्ते के अधिकार को समाप्त किया है तो उसके लिये उत्तरदाता अप्रार्थीगण दायित्वाधीन नही है। कि मौके पर जो रास्ता डी.आई.ई.टी. भवन को होते हुये आगे ज्ञान गुफा हनुमानजी मंदिर तक है वह भी राजस्व रेकर्ड अनुसार विभिन्न खातेदारों की भूमि में से जाता है। राजस्व अभिलेख में भी रास्ता दर्ज नही है। यदि पूर्वजो के समय से कदीमी रास्ता होता है राजस्व अभिलेख के भू–प्रबंध के समय में भी इन्द्राज होता , जो कि नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करावें। भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत द्वारा पेश मौका फर्द की रिपोर्ट में अंकन है कि [illegible] 146 रकबा क्रमशः 0.0632 है. व 0.1644 हैक्टेयर बाबूसिंह , ईश्वर सिंह पि. [illegible], कमला पत्नि भैरूसिंह, दिलीप सिंह, करणसिंह, तरूण सिंह पि. [illegible] वादी की उक्त भूमि के पास इसी के पास लगती हुई खसरा सं. 131, 1[illegible]48 किता 03, रकबा 0.3414 है. भूमि अप्रार्थी विद्या पत्नि शरद कुमार रावल वगैरा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि [illegible] तरफ बाउण्ड्री वॉल पूर्व से ही निर्मित है। इसके बीच में क[illegible] रास्ता स्थित नही है [illegible] से देलवाडा मुख्य सड़क से अर्रट भवन तक रास्त अप्रार्थी की भूमि के पास में विभिन्न खातेदारों की भूमि में से होकर जाता है लेकिन रास्ता रेकर्ड में दर्ज नही है। वादी की खातेदारी भूमि व निवास ग्राम देलवाड़ा में कन्याकुमारी मंदिर के पास स्थित है। उक्त भूमि व निवास स्थान के पास ही वादी की खसरा नं. 145 व 146 की भूमि स्थित है। वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:29 IST
Reason: SelfAttested

का कुछ भाग शांतिदूत जनोदय ट्रस्ट अहमदाबाद सैन ट्रस्ट को विक्रय किया हुआ है। उसी से होकर वादी के आवास के नजदीक खसरा नं. 145 व 146 नजदीक है।

हमने पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 131,147,148 की भूमि में से 10 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का है जिससे होकर प्रार्थीमण एवं उनके पूर्वज कदिम से कृषि कार्य हेतु आते जाते रहे है और वर्तमान में उक्त भूमि पर तारबंदी कर फाटक लगा दिया गया है। जबकि स्टेट के जवाब के अनुसार खसरा नं. 131, 147 व 148 खातेदारी भूमि है मौके पर कोई कदमी रास्ता नही है, चारो तरफ बाउण्ड्री वॉल निर्मित है एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का कुछ भाग शांतिदूत जनोदय ट्रस्ट अहमदाबाद सैन ट्रस्ट को विक्रय किया हुआ है, उसी से होकर प्रार्थीगण के आवास के नजदीक खसरा नं. 145 व 146 है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 131, 147, 148 की भूमि में रास्ता देने का अंकन है जिससे उनके पूर्वज आते जाते रहे है जो वर्तमान में प्रार्थीगण के अनुसार तारबंदी कर फाटक लगा दिया गया है अतः उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र अनुसार बंद रास्ते को खुलवाने का है एवं बंद रास्ते को खुलवाने का प्रकरण धारा 251 के अतर्गत आता है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है इसकी अधिकारिता तहसीलदार को है। स्टेट की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी स्वयं का निवास खातेदारी भूमि कन्याकुमारी मंदिर के पास है। जिसमें वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि थी उसका कुछ भाग शांतिदूत जनोदय ट्रस्ट अहमदाबाद जैन ट्रस्ट को विक्रय किया गया था उसी से होकर प्रार्थी का खसरा नं. 145,146 नजदीक है एवं उक्त खातेदारी भूमि से कदमी रास्ता उसके आवास कि तरफ तक जाता है अतः कदमी रास्ता उपलब्ध है। धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है –

1. प्रार्थीगण को रास्ते की परम आवश्यकता हो केवल सुविधा के लिये नही एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। स्टेट कि रिपोर्ट अनुसार कदिमी रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण सरलता/सुगमता हेतु धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता प्राप्त नही कर सकते।
2. प्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की गई परंतु उसके साथ कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये। प्रार्थी का कथन पुराने कदिमी रास्ते हेतु है जिसके लिये धारा 251 के अंतर्गत प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

11.7.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:29 IST
Reason: SelfAttested